शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1919(1)/नौ–5–2010–147सा/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2010

विषयः–कतिपय श्रेणी के प्लास्टिक के विनिर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1919/नौ–5–2010–147सा/2010 दिनांक 12 मार्च, 2010 को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–4106/नौ–7–2003 दिनांक 05 सितम्बर, 2003 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कतिपय श्रेणी के प्लाास्टिक के विर्निमाण निषिद्व किये जाने के बावजूद इसके प्रचलन एवं मानव जीवन एवं पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव के दृष्टिगत उनके विनिर्माण एवं उपयोग पर शासन द्वारा गंभीर रूख अपनाते हुए निर्णय लिया गया था कि इसे पूरी कड़ाई से लागू किया जाय तथा किसी भी प्रकार के उल्लघंन करने वाले के विरूद्व निम्नानुसार सख्त कार्यवाही की जाय :–

(1) **प्लास्टिक विनिर्माण पर प्रतिबन्ध**

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–का.आ.705(अ), दिनांक 02.09.99 के माध्यम से **पुनःचकित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999** प्रख्यापित किये थे। इन नियमों के अन्तर्गत **पुनःचकित प्लास्टिक** से बने कैरी बैगों या पात्रों के विनिर्माण की शर्ते निर्धारित करते हुए अन्य प्राविधान भी किये गये थे। विनिर्माण और पुनःचकण से संबंधित प्रवर्तन के लिए राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निहित प्राधिकारी निर्धारित किया गया है तथा उपयोग, एकत्रण, पृथक्कीकरण, परिवहन और व्ययन संबंधित इन नियमों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए ऐसे जिलों में जहॉ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र प्रशासन ने जैव अनिम्नीकरण कचरे से संबंधित किसी विधि के अधीन ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है, वहॉ संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/उपायुक्त को विहित प्राधिकारी नामित किया गया है।

अधिसूचना संख्या–का.आ.698(अ), दिनांक 17.06.03 द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय ने उक्त नियमावली में संशोधन किया तथा अब इस नियमावली का नामांकन **'प्लास्टिक विनिर्माण विकय और उपयोग नियम, 1999'** कर दिया गया है। अन्य संशोधनों के अतिरिक्त मूल नियम–4 में संशोधन कर अब विर्निमाण के अतिरिक्त प्रतिबन्धित कैरी बैग के भंडारण, वितरण या विकय को भी निषिद्व कर दिया गया है तथा विनिर्माता द्वारा पंजीकरण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष 17 अक्टूबर, 2003 से पूर्व आदेश करना भी आवश्यक हो गया है।

(2) **प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबन्ध**

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा–7 अन्तर्गत पुनःचकित प्लास्टिक का उपयोग खाद्य सामग्री के भण्डारण अथवा उस ले जाने या पैकिंग में नहीं किया जायेगा और यदि मोटाई 20 माइकान से कम हो तो किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पुनः चकित प्लास्टिक से भिन्न किसी प्लास्टिक का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा यदि उसकी मोटाई 20 माइकान से कम है। उक्त अधिनियम की धारा–8 के अधीन उल्लंघनकर्ताओं को प्रथम दोष सिद्व होने की दशा में एक मास का कारावास अथवा/और रू0 5,000/– का दण्ड दिया जा सकेगा और पश्चातवर्ती दोष सिद्व की दशा में छः मास का कारावास अथवा/और रू0 10,000/– तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

2– धारा–3 के अन्तर्गत सार्वजनिक नालियों में जीव अनाशित सामग्री फेंकने पर प्र. प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही सभी भूमि तथा भवनों के स्वामियों एवं अधिभो. कर्तव्य भी प्राविधानित किये गये हैं।

3– इस प्रकार, यद्यपि प्लास्टिक के अवांछित उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु व्यवस्थ अधिनियमित है, परन्तु इसका प्रभावी प्रवर्तन न होने के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और समस्या निरन्तर गंभीर होती जा रही है। इसके दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विधिक व्यवस्था के अनुपालन हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियॉ प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जायः–

(1) भारत सरकार द्वारा लागू विनियमों के अन्तर्गत प्लास्टिक निर्माणकर्ताओं का पंजीकरण 17 अक्टूबर, 2003 से पूर्व अ निवार्य है। तदनुसार कार्यरत इकाइयों का पंजीकरण कराया जाय तथा निर्धारित तिथि उपरान्त किसी भी अपंजीकृत इकाई द्वारा प्लास्टिक की वस्तुओं का विनिर्माण सख्ती से रोका जाय और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 19867 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(2) प्लास्टिक के ऐसे कैरी बैग जिनकी मोटाई 20 माइक्रान से कम है अथवा निर्धारित माप से कम है, अथवा पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने हैं तथा खाद्य सामग्री के लाने ले जाने के लिए हैं, उनका विनिर्माण निषिद्व होने के कारण उनका व्यवसाय करना भी अनुमन्य नहीं है और ऐसे उत्पादों के संबंध में प्लास्टिक विनिर्माण, विकय और उपयोग नियम, 1999 अन्तर्गत निषेधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) कोई भी विकेता इस प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग में खाद्य सामग्री की आपूर्ति न करें, इसके लिए सभी विकेताओं को आगाह कर दिया जाय और तदोपरान्त भी प्रयोग करने की स्थिति में उनके विरूद्व उपरोक्त संदर्भित अधिनियम, 2000 अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(4) प्लास्टिक के उपयोग को हतोस्ताहित करने के लिए जनभावना तैयार करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं व समाज सेवी संस्थाओं का भी उपयोग किया जाय।

4– यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या–3498/नौ–7–01–111रिट/98 दिनांक 12 जुलाई, 2001 के द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–29 सन् 2000) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रशमन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपने–अपने स्थानीय प्राधिकार में अधिकारिता के प्रयोग के लिए अधिसूचित किया गया है :–

1– **नगर निगम के अधिकारी**
(क) मुख्य नगर अधिकारी
(ख) अपर मुख्य नगर अधिकारी
(ग) उपनगर अधिकारी
(घ) सहायक नगर अधिकारी
(ड) वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी
(च) वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्साधिकारी
(छ) मुख्य सफाई निरीक्षक
(ज) सफाई निरीक्षक

2– **नगर पालिका के अधिकारी**
(क) अधिशासी अधिकारी
(ख) स्वास्थ्य अधिकारी
(ग) सफाई निरीक्षक

3– **नगर पंचायत के अधिकारी**
(क) अधिशासी अधिकारी

5— उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अनुरोध है कि सभी जिलाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नागर स्थानीय निकायों को सम्मिलित कर कार्यवाही की रणनीति बनाते हुए अभियान के रूप में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिबन्धित प्लास्टिक के विरूद्व कार्यवाही अभियान के रूप में निरन्तर प्रत्येक माह चलायी जायेगी। समाप्त न होकर बनायी गई रणनीति अनुसार जारी रहेगी।

6— अतः उक्त के कम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000' की धारा—7 की व्यवस्थानुसार पुनःचक्रित प्लास्टिक का खाद्य पदार्थो के भण्डारण, ले जाने या पैकेजिंग के लिए तथा ऐसी प्लास्टिक, जिसकी मोटाई 20 माइक्रान से कम हो, को किसी भी प्रयोजन के लिए प्रदेश में तथा मुख्य रूप से प्रमुख नदियों यथा— गंगा, गोमती, यमुना आदि के किनारे बसे शहरों में पूर्णरूप से प्रतिबन्धित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ इसके प्रयोगकर्ताओं के विरूद्व संदर्भित अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाय तथा शासनादेश संख्या—1919/नौ—5—2010—147सा/2010 दिनांक 12 मार्च, 2010 में की गई व्यवस्थानुसार कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1919(2)/नौ—5—2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रत्येक त्रैमास की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3— सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4— निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7— गंगा सेल/पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0) ।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

GO RKP